भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

**राज्य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 878**

(जिसका उत्तर 28 जुलाई, 2015/06 श्रावण, 1937 (शक) को दिया जाना है)

**सहकारी बैंकिंग क्षेत्र की स्थिति**

878. श्री एस. थंगावेलुः

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि भारत में सहकारी बैंक क्षेत्र बड़ी समस्याओं का सामना कर रहा है और यह क्षेत्र अपनी पूर्ण क्षमता का उपयोग नहीं कर पा रहा है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह भी सच है कि वाई.एच. मालेगाम समिति ने सहकारी बैंकों के लिए प्रबंधन बोर्ड गठित करने सहित कतिपय अन्य सिफारिशें की थी; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार सहकारी बैंकों पर उक्त समिति की सिफारिशों को क्रियान्वित करने हेतु जोर डालने पर विचार कर रही है?

**उत्तर**

वित्त मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (श्री जयंत सिन्हा)

**(क):** ग्रामीण सहकारी बैंकिंग क्षेत्र के संबंध में राष्‍ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने यह सूचित किया है कि अल्‍पावधि सहकारी ऋण संरचना (एलटीसीसीएस) कई तरह की दिक्‍कतों का सामना कर रहा है, जैसेकि प्रबंधन में उच्‍चतर पेशेवरना रवैये की आवश्‍यकता, अभिशासन से संबंधित परेशानियां, सहकारी ग्रामीण बैंकों पर दोहरा नियंत्रण, तकनीक को देर से अपनाना, कमजोर पूंजी आधार, ह्रासित आस्‍ति गुणवत्‍ता, ऋणों की कम वसूली के परिणामस्‍वरूप अनुपयोज्‍य आस्‍तियों में वृद्धि, कम लाभप्रदता आदि।

सहकारी बैंकिंग क्षेत्र के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सूचित किया है कि शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) की जमाराशियों और अग्रिमों में 31.03.2013 से 31.03.2014 तक क्रमश: 14% तथा 10.3% की दर पर वृद्धि हुई है तथा उक्‍त अवधि के दौरान उनका सकल एनपीए 6% से घटकर 5.7% हो गया है। इसके अतिरिक्‍त, 31.03.2014 तक की स्‍थिति के अनुसार, प्राथमिकता-प्राप्‍त क्षेत्र को अग्रिम कुल अग्रिमों का 48.9% था।

**(ख) और (ग):** नए शहरी सहकारी बैंकों को लाइसेंसीकृत करने संबंधी विशेषज्ञ समिति (मालेगम समिति) ने, अन्‍य बातों के साथ-साथ, निदेशक मण्‍डल के अतिरिक्‍त प्रबंधन मण्‍डल की स्‍थापना की सिफारिश की थी। आरबीआई ने सूचित किया है कि श्री आर. गांधी, उप-गवर्नर, आरबीआई की अध्‍यक्षता में एक उच्‍च अधिकार प्राप्‍त समिति का गठन किया है जिसे, अन्‍य बातों के साथ-साथ, निम्‍न पहलुओं को देखने हेतु अधिदेशित किया गया है:

(i) क्‍या मालेगम समिति की सिफारिशों के अनुसार, नए यूसीबी को लाइसेंस प्रदान करने हेतु समय उचित है तथा यदि हां, तो मालेगम समिति की सिफारिशों को आगे ले जाने के तरीके (मोडेलिटिस) क्‍या होंगे।

(ii) मालेगम समिति के इस सुझाव कि निवेशकों के बीच उचित प्रबंधन से संबंधित विश्‍वास को बनाए रखने के लिए जमाराशियों की 50 प्रतिशत लागत वोटिंग सदस्‍यों द्वारा धारित होनी चाहिए। विकल्‍पत: व्‍यवहार्य संरचना प्रस्‍तावित करना जिससे अधिकांश वोटिंग निधियों के अंशदाताओं के हाथ में रहें।

\*\*\*\*\*